निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-34 वर्ष 2016-17 यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** के माह 02/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री राम सनेही एवं श्री एस0के0सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** द्वारा दिनांक **30.11.2016 से 06.12.2016** तक **श्री पी0सी0श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामसनेही एवं श्री एस0के0सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.2015 से 03.03.2015 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2013 से 01/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: **जिला पौड़ी गढ़वाल**

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	491.30	439.55	3061.06	2863.29	-	-
2014-15	-	-	496.86	467.89	1230.65	913.02	-	-
2015-16	-	-	520.41	485.67	643.45	633.52	-	-
2016-17 exp- 10/2016	-	-	555.58	379.28	525.27	447.08	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय आधिक्य (+)**	**बचत (-)**

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल 'बी'** श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः संलग्न

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि :** लेखापरीक्षा में .....

लेखापरीक्षण दिश निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2016 एवं 11/2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्त्यां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की **धारा 13 एवं 16** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

(इस भाग में नियमितता से सम्बन्धित मामले/विशिष्ट विषयों के मामले एवं औचित्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जाय)

.....शून्य.....

<u>भाग-II 'ब'</u>

(इस भाग में नियमितता तथा औचित्य दोनों से सम्बन्धित प्रासंगिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा विशिष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय)

प्रस्तर-1,2 एवं 3

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 धनराशि ` 4.93 करोड़ के व्यय के बावजूद निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने के कारण विभाग पर ` 4.94 करोड़ का अतिरिक्त प्रभार।

कार्यालय जिलाधिकारी, पौडी के अन्तर्गत निर्माणाधीन कलैक्ट्रेअ भवन पौडी की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या - 811(1)/xviii(1)/2012 दिनांक 17 अक्टूबर 2012 के द्वारा जनपद पौडी में नवीन कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण हेतु आगणन ` 496.32 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणेपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ` 492.56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके सापेक्ष धनराशि ` 50.00 लाख के व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके बाद उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या : 256 (1)/xviii(1)/2013, दिनांक 28 फरवरी, 2013 के द्वारा उक्त कार्य हेतु अवशेष धनराशि ` 442.56 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जो कार्यदायी संस्था "निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पौडी को प्रदान की गयी थी।

आगे जांच में पाया गया कि उक्त कार्य को दिनांक 30.07.2013 को प्रारम्भ किया गया था और कार्य को पूर्ण करने की तिथि 29.07.2015 थी। वर्तमान में निर्माण कार्य बन्द है तथा निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणन ` 493.61 लाख शासन को दिनांक 14 जुलाई 2015 को प्रेषित किया गया था जो कि लम्बित है।

निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने पर इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के निर्माण कार्य पर रोक के कारण छः माह निर्माण कार्य अवरूद्ध था जिससे कार्य समय से पूर्ण नहीं किया जा सका।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य पर रोक मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के निर्माण कार्य पर रोक के कारण छः माह निर्माण कार्य अवरूद्ध था जिससे कार्य समय से पूर्ण नहीं किया जा सका।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य पर रोक मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 23.10.2013 द्वारा हटा दी गयी थी, उसके बावजूद लेखापरीक्षा तिथि (11/2016) तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया था, जिस वजह से सामग्री एवं मजदूरी दरों में अप्रत्याशित वृद्धि (लागत वृद्धि Cost Escalation) के कारण विभाग पर ` 4.94 करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त प्रभार पड़ा।

अतः प्रकरण को शासन के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 ` 116.16 लाख के व्यय के बावजूद आवासीय भवनों का पूर्ण न होना एवं अनावसीय तहसील भवन का हस्तगत न होनां

कार्यालय जिलाधिकारी, पौडी के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिले में यमकेश्वर तहसील में तहसील भवन का निर्माण, आवासीय भवनों के निर्माण में टाईप-IV के 02 आवास, टाईप-III के 01 आवास, टाईप-II के 09 आवास, टाईप-I के 05 आवास, गैराज, चाहर दीवारी व पहुंच मार्ग बनाये जाने का प्रस्ताव था। उक्त निर्माण हेतु आगणन ` 203.47 लाख के सापेक्ष धनराशि ` 196.37 लाख की स्वीकृति थी। जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 694/xviii(1)/2008-01 (10)/2008, दिनांक 31 मार्च 2009 द्वारा धनराशि ` 66.16 लाख कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड कोटद्वार गढ़वाल को प्रदान की गयी थी। इसी क्रम में आगे उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1360(1) xviii (1)/2013, दिनांक 29 अगस्त 2013 को धनराशि ` 50.00 लाख संस्था के साथ काई MOU नहीं किया गया था।

आगे जांच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा तहसील भवन का निर्माण जून 2014 में पूर्ण दिखाया गया, परन्तु उपजिलाधिकारी यमकेश्वर के पत्र 02 जनवरी, 2016 द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को सूचित किया गया था कि जल संयोजन, आंगन की चारदीवारी व आंगन का फर्श का कार्य नहीं किया गया है, जिस वजह से भवन लेखापरीक्षा तिथि (11/2016) तक हस्तगत नहीं किया गया था।

आवासीय भवन में टाईप-II के 03 आवासों की भांतिक प्रगति माह नवम्बर 2016 में 95 प्रतिशत थी। शेष आवासों के निर्माण हेतु ` 289.09 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रेषित किया गया था।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि तहसील भवन के हस्तगत करने की कार्यवाही गतिमान है, तथा टाईप-II के तीन नग आवास पूर्ण होने की स्थिति में है। शेष आवासों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन शासन को प्रेषित किया गया है।

अतः ` 116.16 लाख की धनराशि के व्यय बावजूद आवासीय भवनों का पूर्ण न होना एवं तहसील भवन का हस्तगत न करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में होता है।

STAN

प्रस्तर-1 ग्राम प्रहरियों को मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि ` 29.50 लाख की प्राप्ति रसीद प्राप्त न होना।

कार्यालय जिलाधिकारी, पौडी की राजस्व पुलिस के सहायतार्थ प्रत्येक ग्राम सभी में नियुक्त किये गये ग्राम प्रहरियों को भुगतान किये गये मानदेय सम्बन्धी पत्रावली की लेखापरीक्षा जांच में पाया कि आयुक्त एवं सचिव परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या - 6544 (8-1) बजट/2015-16 दिनांक 09.03.2016 के अन्तगग्Zत अनुदान संख्या-06 लेखाशीर्ष 2053 जिला प्रशासन 093 जिला स्थापना व्यय के अन्तर्गत मद सं0-2 मजदूरी मद के अन्तर्गत ` 20.00 लाख जनपद में तैनात ग्राम प्रहरियों का मानदेय के भुगतान हेतु उपलब्ध कराया गया था। इसी क्रम में राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या - 6771/(8-1) बजट/2015-16 दिनांक 19.03.2016 के द्वारा आवंटित धनराशि ` 10.00 लाख में से धनराशि ` 9.50 लाख जनपद के तहसीलों में तैनात ग्राम प्रहरियों के माध्यम से मानदेय का भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक पौडी के द्वारा मानदेय की कुल धनराशि ` 29.50 लाख जनपद के तहसीलों में तैनात तहसीलदारों के बैंक खातों में हस्तान्तरित किया गया जिसका विवरण निम्न है।

क्र.सं0	तहसीलदार	बैंक खाता संख्या	धनराशि (`)
1	पौडी	30176248029	750000
2	श्रीनगर	30254948815	20000
3	लैन्सडाउन	10949791443	400000
4	सतपुली	11377136011	180000
5	चौबट्टाखाल	11734897049	300000
6	कोटद्वार	31469629672	250000
7	यमकेश्वर	11791958017	150000
8	थैलीसैण	11706224203	570000
9	चाकीसैंण	33595101020	200000
10	धुमाकोट	11716158044	130000
		योग-	**2950000**

इस प्रकार पौडी जनपद के 10 तहसीलों के तहसीलदारों के बैंक खातों में प्रहरियों के मानदेय के भुगतान हेतु ` 29.50 लाख हस्तान्तरित किया गया था लेकिन लेखापरीक्षा अवधि तक मानदेय के रूप में वितरित की गयी धनराशि का लेखापीरक्षा अवधि तक प्राप्ति रसीद (RECEIVING) कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि जनपद के किसी भी तहसील से ग्राम प्रहरियों को देय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को प्राप्त

नहीं हुई। तहसीलों से पत्राचार कर उनसे जानकारी प्राप्त होने पर एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त कर आपको उपलब्ध करा दिया जायेगा।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योंकि प्राप्ति रसीद प्राप्त न होने पर यह ज्ञात नहीं हो पा रहा कि पात्र व्यक्ति को मानदेय का भुगतान किया गया है या नहीं और यदि किया गया है तो भुगतान किस दर से किया गया है।

अतः धनराशि ` 29.50 लाख भुगतान की गयी धनराशि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2 धनराशि ` 1420790/- का मिलान न कराया जाना।

कार्यालय जिलाधिकारी, पौडी की रोकड़बही/रजिस्टर नम्बर-04 का DDO Reconcilation Statement से चयनित माह 03/2016 व 11/2016 की प्राप्ति पक्ष का मिलान करने पर पाया कि निम्नलिखित धनराशि का मिलान विभाग द्वारा नहीं कराया गया जिसका विवरण निम्न है।

वर्ष/माह	क्र.सं0	बिल संख्या	दिनांक	Account Head Code	Cheque No.	धनराशि
03/2016	1	21403	02.03.2016	202900103030001	CN48587318	22721
	2	34	04.03.2016	207101115030201	CN48980542	465069
	3	94	05.03.2016	207101115030201	CN48781749	251305
	4	11	14.03.2016	205200091070044	CN49200615	10600
	5	12	14.03.2016	205200091070011	CN49200615	15000
	6	06	14.03.2016	205200091070004	CT72770982	10000
	7	19	22.03.2016	202900001030008	U000000052	2000
	8	21	22.03.2016	202900001030008	U000000052	5600
	9	25	22.03.2016	202900001030008	UF0351432	5000
	10	26	22.03.2016	202900000103004	U000000052	10076
	11	22	22.03.2016	202900001030011	U000000052	10003
	12	83	22.03.2016	205300093030022	UF0351434	10000
	13	04	22.03.2016	240100001040004	U000000052	32595
	14	08	22.03.2016	240100001040004	UF0357437	49550
	15	08	22.03.2016	345401800010142	UF0357438	24880
	16	91703	29.03.2016	240100001040001	U0000000541	115912
	17	86	31.03.2016	205300093030012	UF0352015	59996
	18	64	31.03.2016	220500102420042	UF0351935	133793
	19	36	15.11.2016	22500102230042	U00789990	25000
	20	45	21.11.2016	801100107020100	U0000001392	25687
	21	43	21.11.2016	801100107020100	U0000001392	29057
	22	-	21.11.2016	801100107020100	U0000001392	100000
					योग-	**1420790**

इस प्रकार माह 03/2016 व 11/2016 का DDO Reconcilation में कुल धनराशि ` 1420790/- का मिलान विभाग द्वारा नहीं कराया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्त्र में बताया कि सम्बन्धित अनुभागों से भुगतान वाउचरों को प्राप्त कर अगली सम्प्रेक्षा में अवलोकित करा दिया जायेगा।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के DDO के यह जिम्मेदारी होती है कि सम्बन्धित अनुभाग को वाउचरों व DDO Reconcilation Statement से कैशबुक/रजिस्टर नं0 4 का मिलान करवायें जो नहीं कराया गया।

अतः धनराशि ` 1420790/- का मिलान न कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
2011-12 08	1,2	1	
2013-14 07	1	1,2,3	
2014-15 41	-	1,2	

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर सम्बन्धित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
				-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

..................................शून्य ....

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) **नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी (विगत लेखापरीक्षा)**

(ii)

(iii)

2. **सतत् अनियमिततायें** :

(i) **शून्य**

(ii)

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**कार्यरत समय अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1.	श्री पी0एल शाह	उपजिलाधिकारी	18.12.14	20.01.15
2.	श्रीमती जोमस सिमल्टी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	20.01.15	31.01.15
3.	श्री भगवत किशोर मिश्रम	अपर जिलाधिकारी	01.02.16	02.04.16
4.	श्री रामजी शरण	अपर जिलाधिकारी	13.04.16	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (सम्बन्धित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र